संख्या-1/2/2006-का-प्रसका-2007

प्रेषक,

जे.एस.दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ लखनऊ :: दिनांक :: 27 अगस्त, 2007

विषयः- राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति का कियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 2006 एवं दिनांक 05 फरवरी, 2007 में दिये गये सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद अभी तक अधिकांश विभागों/ विभागाध्यक्षों द्वारा प्रशिक्षण प्रबन्धकों को नामित नहीं किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा अवगत कराया गया है कि अभी तक मात्र 21 विभागों से प्रशिक्षण प्रबन्धक नामित किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

2. चूंकि शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2007 के द्वारा प्रशिक्षण संबंधी समस्त कार्यकलापों के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को नोडल संस्थान नामित कर दिया गया है। अतः आपसे यह अनुरोध करने का मुझे पुनः निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, उसकी सूचना उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ तथा कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

(1) शासन स्तर पर प्रत्येक विभाग में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अपर विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी को प्रशिक्षण प्रबन्धक नामित करते हुए, उसका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करा दिया जाय।

(2) मानक मद 44-प्रशिक्षण व्यय में, वेतन की मद में प्राविधानित धनराशि के एक प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के प्राविधान कराये जाने संबंधी विवरण उपलब्ध कराया जाय।

(3) जिन विभागों के अपने प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, के द्वारा शासनादेश दिनांक 12 अगस्त, 1999 के साथ संलग्न सूची के अनुसार अथवा किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान से सम्बद्धता स्थापित करते हुए, उसकी सूचना उपलब्ध करायी जाय।

(4) विभाग/ संस्थान का वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर एवं पंचवर्षीय प्रशिक्षण योजना तैयार कर, उपलब्ध करायी जाय।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार समस्त कार्यवाही तत्परता से सम्पादित करते हुए, उसकी सूचना उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी एवं कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

25/8/07

(जे.एस.दीपक)
प्रमुख सचिव

संख्या-1/2/2006(1)-का-प्रसको-2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
5. निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव